

17³/₂₀

प्रावली पैरा 30) वाडीया एवं उनके
अभिभावक को विधिवत कावाज
दिलवाई गई किन्तु कोई भी उपर
नहीं आता। वाड वाडीया अडग बाजरी
अडग पैरावी खारीज दिना जाता है
श्रीकी जारी है। प्रावली पैरावल सुभा
दोकर नम्बर से कम है।

Handwritten Signature
अध्यक्ष अधिकारी एच
सहायक कलेक्टर
गाहपुर (धीसबाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाइ

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपरवण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

वईजलास श्री शेला चौधरी IAS

श्री रामविलास श/० मोहन शर्मा बनाम श्री जिलाधीश भीलवाड़ा

ब्राह्मण वि. आशलीकला (मृतक)

2- लक्ष्मीलाल शाहपुरा

1/1 पुष्पादेवी श/० रामविलास ब्राह्मण वि. आशलीकला वाडीगा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA

मुकदमा नम्बर 221 सन् ०7 राजस्व वाद

अह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव मुदई व मिनजानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :-

वाद वाडिया अकम हाजरी, अइक पैरवी शर्तीय किम्या जातेई

निज मुबलिया, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सुलयाबी तक अदा करें ।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 17 माह 3 सन् 22



Handwritten signature and official stamp of the District Judge, Bhilwara, Rajasthan. The stamp text includes 'उपरवण्ड अधिकारी' (District Judge) and 'शाहपुरा (भीलवाड़ा)' (Shahpura, Bhilwara).